

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 70(बजट)/खाद्य दिनांक 09.03.2017 से मुख्य शीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 198, ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं०-पी०-3456001980101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के विषयशीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति एवं अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वितीय वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 423/वि० दिनांक 31.06.2016 तथा पत्रांक 4572/वि० दिनांक 03.06.2016 में निहित निदेश के अनुपालन में इस जिले के लिए प्राप्त मो० 752250.00 (सात:लाख बावन हजार दौ सौ पचास) रुपये को निम्न प्रकार उपवांटित किया जाता है:-

क्र०	उपवांटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	उपवांटित राशि
1	2	3
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	49870.00
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पैलाढ़	48865.00
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहशेवर	48865.00
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	48865.00
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	48865.00
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	77865.00
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	77865.00
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	48865.00
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	77865.00
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, विहारीगंज	48865.00
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	77865.00
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा	48865.00
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	48865.00
योग:-		752250

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविल, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं०-पी०-3456001980101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में विकल्पनीय होगी।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 25.03.2017 तक जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

हो -
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक.....167...../आ० मधेपुरा, दिनांक17.3.17.....

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा